भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–11/2017–18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
26.03.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 328 दिनांक 07.03.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। क्रेता एवं विक्रेता को दिनांक 12.06.2018 को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख 12.06.18 को उपस्थापित करें । 26.3.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	.
12.06.2018	अभिलेख उपस्थापित। क्रेता एवं विक्रेतादोनों उपस्थित हुए । अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 328, दिनांक 07.03.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 07.03.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **श्री घासीराम महतो,** पिता–**स्व0 भगत महतो,** जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग.)** ग्राम–**दंदासाई, वार्ड नं0–14,** पो0+थाना–**चक्रधरपुर,** जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा–**वार्ड नं0–13,** खाता नं०–**06,** प्लॉट नं०–**201,** रकवा **0.04 ए0,** क्रेता **श्री जगन्नाथ महतो,** पिता–**स्व0 राईतार महतो,** जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग.),** ग्राम+पो0–**जामिद,** थाना–**चक्रधरपुर,** जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **श्री घासीराम महतो,** पिता–**स्व0 भगत महतो,** जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग.)** ग्राम–**दंदासाई, वार्ड नं0–14,** पो0+थाना–**चक्रधरपुर,** जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना–**चक्रधरपुर** के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति **कुर्मी (अ.पि.वर्ग.)** समुदाय के सदस्य है। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते है। क्रेता एवं विक्रेता उक्त भूमि क्रय–विक्रय हेतु सहमत है। साथ ही विक्रेता द्वारा **शपथ पत्र सं0–32,** दिनांक **08.06.2018** द्वारा बताया गया है कि उक्त अवशेष भूमि के अतिरिक्त क्योंझर (उड़िसा) में भी **2.00 ए0** भूमि विक्रेता के पास है। विक्रेता द्वारा उक्त भूमि बिक्री के पश्चात् जीविकोपार्जन हेतु कुल अवशेष भूमि **2.54 ए0** भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता **श्री जगन्नाथ महतो,** पिता–**स्व0 राईतार महतो,** जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग.),** ग्राम+पो0–**जामिद,** थाना–**चक्रधरपुर,** जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित 12.6.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर 12.6.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	